

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उ०प्र०।

पत्रांक:-11फ/बी०एम०डब्लू०मैनेजमेन्ट/2018-19/9559

लखनऊ, दिनांक 27 फरवरी, 2019

**विषय:-ओ०ए० सं०-606/2018 in the matter of : Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016** में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2018 द्वारा गठित U.P Solid Waste Management Monitoring Committee की बैठक दिनांक 17.12.2018 में मा० न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह, पूर्व जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अध्यक्षता में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन कराने हेतु तथा श्री शैलेश सिंह बनाम यू०ओ०आई० एवं अन्य ओ०ए०सं०-710/17, 711/17, 712/17, में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.02.2018 में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आज दिनांक 27.02.2019 को शासन स्तर पर आहूत बैठक में प्रतिभाग करने वाले परिधिगत अधिकारियों द्वारा आधी-अधूरी सूचना उपलब्ध करायी गयी, जोकि अत्यन्त खेदजनक है। प्रतिभाग करने वाले परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्ण सूचना आगामी दो कार्य दिवस में ई-मेल-em.medicalcare@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि जिन जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/नोडल अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया वह भी पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रारूप पर सम्पूर्ण सही सूचना उक्तानुसार प्रेषित करें।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2019, समय अपराह्न 01:00 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ कार्यालय स्थित सभागार में आहूत की गयी है, जिसमें समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी सूचनाओं सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पद्माकर सिंह)

महानिदेशक

पत्रांक:-11फ/बी०एम०डब्लू०मैनेजमेन्ट/2018-19/

तद्दिनांक

**प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित कि उक्त प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. अनु सचिव, चिकित्सा अनुभाग-1 एवं 7, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त का अनुपालन अपने स्तर से भी कराना सुनिश्चित करें।
4. अपर परियोजना निदेशक, यू०पी०एच०एस०एस०पी०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि डा० धीरज तिवारी, एवं श्री महेश कुमार दूबे को प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अपने स्तर से आदेशित करने का कष्ट करें।
5. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० शासन।

निदेशक(चिकित्सा उपचार)

### Status of District wise compliance of Bio-Medical Waste Rules, 2016

- Revised

Sl. No.	Name of District	Name of HCFS*	Address of HCFS	Responsible Person of HCFS			Private/ Government	Bedded No. Of Beds	Non Bedded Clinic/ Pathology/ Blood Bank/ Dispensary/ Others	BMW Authorization Yes/No			Registration Number of MCI/CMO	Name of Unauthorized HCFS	Action taken against the Unauthorized HCFS
				Name	Mobile No.	E-Mail Id				Yes/No	Validity date	Applied			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															

\* Government HCF= Healthcare Facility means District Hospitals (Male/Female/Combini), CHC, PHC, UCHC and UPHC) & All Private Hospitals ets.

Note-  
 1- Plz fill the requested information ONLY in excell sheet (copy enclosed) and send it as soft copy with your signed covering letter .  
 2-Plz send the copy of action taken against the unauthorized HCFS.

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
उ०प्र०।

पत्रांक:-11फ/बी०एम०डब्लू०मैनेजमेन्ट/2018-19/

लखनऊ, दिनांक 27 फरवरी, 2019

**विषय:-ओ०ए० सं०-606/2018 in the matter of : Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016** में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2018 द्वारा गठित U.P Solid Waste Management Monitoring Committee की बैठक दिनांक 17.12.2018 में मा० न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह, पूर्व जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अध्यक्षता में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में दिये गये प्रावधानों का अनुपालन कराने हेतु तथा श्री शैलेश सिंह बनाम यू०ओ०आई० एवं अन्य ओ०ए०सं०-710/17, 711/17, 712/17, में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.02.2018 में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आज दिनांक 27.02.2019 को शासन स्तर पर आहूत बैठक में प्रतिभाग करने वाले परिधिगत अधिकारियों द्वारा आधी-अधूरी सूचना उपलब्ध करायी गयी, जोकि अत्यन्त खेदजनक है। प्रतिभाग करने वाले परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में पूर्ण सूचना आगामी दो कार्य दिवस में ई-मेल-em.medicalcare@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि जिन जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/नोडल अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया वह भी पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रारूप पर सम्पूर्ण सही सूचना उक्तानुसार प्रेषित करें।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.03.2019, समय अपराह्न 01:00 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ कार्यालय स्थित सभागार में आहूत की गयी है, जिसमें समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी सूचनाओं सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पद्माकर सिंह)  
महानिदेशक

पत्रांक:-11फ/बी०एम०डब्लू०मैनेजमेन्ट/2018-19/9560-64

तद्दिनांक:

**प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित कि उक्त प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. अनु सचिव, चिकित्सा अनुभाग-1 एवं 7, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त का अनुपालन अपने स्तर से भी कराना सुनिश्चित करें।
4. अपर परियोजना निदेशक, यू०पी०एच०एस०एस०पी०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि डा० धीरज तिवारी, एवं श्री महेश कुमार दूबे को प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अपने स्तर से आदेशित करने का कष्ट करें।
5. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० शासन।

निदेशक(चिकित्सा उपचार)